

**सेवा प्रभार - कृषि उत्पाद
(सभी प्रभार जीएसटी रहित)**

1. प्रसंस्करण प्रभार:

ए. किसान क्रेडिट कार्ड:

ऋण सीमा	दरें
₹3 लाख तक	शून्य
₹3 लाख से अधिक से लेकर ₹10 लाख तक	ऋण राशि का 0.30%
₹10 लाख से अधिक से लेकर ₹1 करोड़ तक	ऋण राशि का 0.25%
₹1 करोड़ से अधिक	ऋण राशि का 0.20%

बी. एसएचजी मीयादी ऋण और सीसी सीमा (कृषि और गैर-कृषि):

ऋण सीमा	दरें
₹10 लाख तक	शून्य
₹10 लाख से अधिक	संपूर्ण सीमा के लिए 0.25%

सी. जेएलजी वित्तपोषण (कृषि और गैर-कृषि):

ऋण सीमा	दरें
₹5 लाख तक	शून्य
₹5 लाख से अधिक	संपूर्ण सीमा के लिए 0.25%

डी. संरचित ऋण उत्पादों के अलावा कृषि /संबद्ध कार्यकलाप के अंतर्गत मीयादी ऋण :

ऋण सीमा	दरें
₹50000/- तक	शून्य
₹50000/- से अधिक से लेकर ₹10 लाख तक	संस्वीकृत सीमा का 0.50%

ई. संरचित ऋण उत्पादों के अलावा कृषि /संबद्ध कार्यकलाप के अंतर्गत कार्यशील पूंजी :

ऋण सीमा	दरें
₹50000/- तक	शून्य
₹50000/- अधिक से लेकर ₹10 लाख तक	₹10 लाख तक संपूर्ण सीमा के लिए 0.25%
₹10 लाख से अधिक	संपूर्ण सीमा के लिए 0.35%

- कार्यशील पूंजी हेतु प्रसंस्करण प्रभार आरंभिक प्रसंस्करण के समय तथा नवीकरण की प्रत्येक वार्षिक तिथि पर तथा सीमा में किसी भी वृद्धि/तदर्थ वृद्धि के लिए वसूली योग्य है।
- तदर्थ/सीमा में वृद्धि के लिए - प्रसंस्करण शुल्क अतिरिक्त/वृद्धिशील सीमाओं पर आनुपातिक रूप से संगणनमा की जाएगी।

एफ. कृषि के अंतर्गत आभूषण ऋण (सीसी/टीएल): *

ऋण सीमा	दरें
₹50000/- तक	शून्य
₹50000/- से अधिक	न्यूनतम ₹200 सहित ऋण राशि का 0.2%

*केसीसी गोल्ड प्लस और केसीसी मरीन गोल्ड उत्पादों पर रु. 3 लाख से अधिक की सीमा के लिए 0.20% की दर लागू है।

जी. एनबीएफसी-एमएफआई को वित्तपोषण: आंतरिक रेटिंग के आधार पर 0.30% से 1.50% तक

एच. गैर-एनबीएफसी-एमएफआई/एनजीओ को वित्तपोषण: सीमा के निरपेक्ष 1.00%

आई. कृषि के अंतर्गत ऋण पुनर्संचना:

प्राकृतिक आपदा के कारण	शून्य
कोई अन्य कारण	सामान्य प्रभार का 75%

2. कृषि अग्रिम के लिए मीयादी ऋणों की समीक्षा:

(बकाया शेष राशि पर प्रभारित किया जाना है)

ऋण सीमा	दरें
₹5 लाख तक	शून्य
₹5 लाख से अधिक	₹120 प्रति लाख या उसका भाग, अधिकतम ₹6 लाख के अध्यक्षीन

3. कृषि ऋण के लिए प्रलेखीकरण प्रभार:

ऋण सीमा	दरें
₹10 लाख तक	शून्य
₹10 लाख से अधिक	₹250 प्रति लाख या उसका भाग, अधिकतम ₹60000 के अध्यक्षीन

4. बंधक प्रभार:

ऋण सीमा	दर
₹10 लाख से कम	शून्य
₹10 लाख और उससे अधिक	ईएम/अन्य बंधक के प्रत्येक प्रारंभिक सृजन के समय ₹300 प्रति लाख या अधिकतम ₹25000। ईएम/अन्य बंधक के विस्तार के लिए प्रयोज्य प्रभार का 50% वसूल किया जाना है।

5. निरीक्षण प्रभार:

सकल एक्सपोजर	निरीक्षण प्रभार (प्रति वर्ष)
₹2 लाख तक	शून्य
₹2 लाख से अधिक	0.075% प्रति वर्ष, अधिकतम ₹50000 के अध्यक्षीन
₹10 लाख तक के एसएचजी, ₹5 लाख तक के जेएलजी, ₹3 लाख तक के केसीसी (गोल्ड प्लस एवं मेरीन गोल्ड सहित) एवं ज्वेल ऋण हेतु निरीक्षण प्रभार में छूट दी गई है।	
₹5 करोड़ से अधिक की सीमा के लिए: 0.075%, अधिकतम ₹50000 के अध्यक्षीन + वास्तविक व्यय टीए/डीए तथा अन्य फुटकर व्यय उधारकर्ता से वसूल किया जाना है।	

6. सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं में सेवा प्रभार का लिया जाना :

सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के संबंध में, सेवा प्रभार उस योजना की शर्तों के अनुसार अथवा कॉका/नाबाई/आरबीआई/केन्द्र, राज्य सरकार/एसएलबीसी द्वारा समय-समय पर प्रसारित के अनुरूप लागू होगा।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ₹50,000 तक के ऋणों पर कोई सेवा प्रभार/निरीक्षण प्रभार नहीं लगाया जाएगा। एसएचजी/जेएलजी को प्रदत्त ऋणों के मामले में यह सीमा समूह के रूप में नहीं बल्कि प्रति सदस्य पर लागू होगी।

7. दंडात्मक प्रभार की वसूली (जीएसटी रहित)

ऋण खाते में अनियमितताओं की अवधि के लिए दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा तथा यह दंड नीचे वर्णित उत्पाद मानदंडों के अनुसार माह/तिमाही/अर्ध-वर्ष/वर्ष के अंत में लगाया जाएगा:

i) खाते के अतिदेय होना:

खाते के अतिदेय हो जाने के ऐसे मामले जहां दंडात्मक प्रभार लागू होते हैं:

विवरण	चूक / अतिदेय राशि संबंधी प्रयोज्य दर
समय पर ब्याज/मूलधन का भुगतान न करना	2%
एफबी कार्यशील पूंजी खातों के मामले में अपर्याप्त स्टॉक और बही ऋण के कारण आहरण सीमा से अधिक राशि	2%

ii) महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाना:

निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति पर 1% का दंडात्मक प्रभार लगाया जाएगा।

विवरण	बकाया ऋण संबंधी प्रयोज्य दर
नियत तिथि से कम से कम एक माह पूर्व नवीनीकरण डेटा प्रस्तुत न करना/विलंब से प्रस्तुत करना	1%
स्टॉक विवरण प्रस्तुत न करना / विलंब से प्रस्तुत करना	
एमएसओडी और/या क्यूआईएस/एफएफआर विवरण, जहां भी निर्धारित हो, नियत तिथि के भीतर प्रस्तुत न करना/विलंब से प्रस्तुत करना	
वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 8 महीने के भीतर लेखापरीक्षित तुलन पत्र और निर्धारित तिथि के अनुसार तिमाही कार्यनिष्पादन विवरण प्रस्तुत न करना	
निर्धारित अवधि के भीतर मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न करना	

- यदि एलसी के व्यागमन या बीजी के लागू करने के कारण अतिरिक्त/टीओडी के मामले में इसे सीसी खाते में डेबिट नहीं किया जाता है तो 2% अतिरिक्त दंडात्मक प्रभार लगाया जाए।
- खाते के अतिदेय हो जाने तथा महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में कुल दंडात्मक प्रभार को अधिकतम 2% तक सीमित किया जाए।

अनिर्धारित अन्य सभी प्रभार: अन्य अग्रिमों और विशिष्ट योजनाओं के अनुसार लागू